

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 04/2024
दायर दिनांक : 06/02/2024
निर्णय दिनांक : 06/03/2024

उनवान

1. रामा उर्फ रामलाल सुथार निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू पिता मोहन तेली निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. हरिराम पिता भैरा तेली निवासी आजादपुरा कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. लक्ष्मण पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
4. रामा पिता किशन गाडरी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेंड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा ग्राम कांकरवा तहसील भूपालसागर की खाता सं. 770 में आ.सं. 398 रकबा 0.47 है, आ.सं. 319 रकबा 0.22 है, आ.सं. 402 रकबा 0.15 है, आ.सं. 399 रकबा 0.19 है, आ.सं. 411 रकबा 0.17 है, आ.सं. 730 रकबा 0.37 है, किता 6 रकबा 1.57 है, भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संघारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

स.पुनीत कुमार गेलडा
उपखण्ड सहायक कलेक्टर भूपालसागर
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

